09102026-DTM-03_27DT02A.qxd 10/8/2026 10:20 PM Page 1

मार्केट कमेटी कार्यालय को जड़ा ताला, अधिकारियों के आश्वासन पर माने ग्रामीण

धान की खरीद, फसल उठान न होने पर किसानों में रोष

कैथल, 8 अक्तूबर (हप्र)

नई अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक हैफेड, डीएफएससी और वेयरहाउस सहित सभी एजेंसियां रोजाना खरीद कार्य नहीं करेंगी, तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। बाद में अधिकारियों ने सभी एजेंसियों से खरीद करवाने का आश्वासन दिया, जिसपर किसानों ने ताला खोल दिया। प्रदर्शन में शामिल किसान नेता होशियार सिंह प्योदा, प्रदीप, नरेंद्र, हर्षदीप ने कहा कि मंडी में न तो धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है और न ही फसल उठान नियमानुसार हो रहा है। दूसरी ओर किसानों को फसल के रेट भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। नमी की मात्रा के अनुसार फसल की जिस ढेरी का रेट 2400 रुपए तक होना चाहिए, उसे भी मात्र 2100 से 2200 रुपए तक खरीदा जा रहा है। खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के साथ लूट की जा रही है। किसानों ने कहा कि वे इस संबंध में सीएम से भी मिले थे और समस्या के बारे में बताया था। अब तक किसानों के लिए सैलर तक अलॉट नहीं किए गए हैं। एजेंसियों के अधिकारी सुबह आते हैं और खरीद का दिखावा करते हैं, लेकिन खरीद शुरू ही नहीं की जाती है। उन्होंने मांग की कि या तो फसल की खरीद की जाए, नहीं तो उन्हें गुरुद्वारे में फसल भेजनी पड़ेगी। मार्किट कमेटी सचिव नरेंद्र ढुल ने कहा कि किसानों को आश्वासन दिया कि सभी एजेंसियों से नियमानुसार खरीद करवाई जाएगी। इसके बाद किसानों ने कार्यालय के गेट से ताला खोल दिया।

राजौंद में दूसरे दिन भी लगाया जाम, खरीद पर हटाया

धान की खरीद सुचारु रूप से शुरू न होने से नाराज किसानों ने बृहस्पतिवार को दूसरे दिन फिर राजौंद अनाज मंडी के सामने असंध रोड पर जाम लगा दिया। अढ़ाई घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक वीरेंद्र सिंह, डीएम अनूप नैन और कैथल के एसडीएम मौके पर पहुंचे और धान की खरीद शुरू करवाई। जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया।

कैथल में बृहस्पतिवार को मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगाते किसान। -हप्र

रानियां में एमएसपी पर खरीद शुरू

रानियां (निस) : अनाज मंडी में बृहस्पतिवार को धान की एमएसपी पर खरीद शुरू हो गई। मार्केट कमेटी चेयरमैन ललित मोहन पोपली, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज, पूर्व जिला महामंत्री बलवान जांगड़ा, वाइस चेयरमैन स्वर्ण सिंह, मार्केट कमेटी सचिव सुरेंद्र सैन, हेफेड प्रबंधक राजकुमार ने सरकारी खरीद कार्य शुरू करवाया। मंडी में सरकारी खरीद एजेंसी हेफेड द्वारा परमल धान की खरीद की जा रही है।

सीवन में खरीद जारी

सीवन (निस) : अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद का सिलसिला जारी है। चौथे दिन भी तीनों खरीद एजेंसियों ने मंडी में पहुंची धान की फसल की खरीद की। तुलाई, लोडिंग और खरीदी गई फसल के उठान का काम भी चलता रहा। मार्केट कमेटी चेयरमैन शमशेर सैनी खानपुर ने कहा कि किसानों को खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंडी की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मंडी सचिव मनजीत के अनुसार अब तक मंडी में पहुंची धान की करीब 80 प्रतिशत फसल खरीदी जा चुकी है।

4 घंटे बाद खोला मार्केट कमेटी को लगाया ताला

यमुनानगर (हप्र) : फसल उठान कार्य में तेजी लाने और अधिक गेट पास देने की मांग को लेकर किसानों ने बृहस्पतिवार को अनाज मंडी में मार्केट कमेटी कार्यालय पर सुबह 11:00 ताला लगा दिया था। चार घंटे बाद एसडीएम के साथ डीएफएससी मौके पर पहुंचे और किसानों की मांगें सुनीं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि शुक्रवार से गेट पास देने में तेजी लाई जाएगी और उठान कार्य में तेजी लाई जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसान धरना उठाने और ताला खोलने पर राजी हुए। किसान यूनियन के नेता संजू गुडियाना और आढ़ती संगठन के जिला प्रधान मनीष कंबोज ने कहा कि हमने प्रशासन को दो दिन का समय दिया है, अगर प्रशासन ने अपने आश्वासन के हिसाब से फसल उठान कार्य में तेजी नहीं लाई और गेट पास अधिक नहीं काटे तो फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय पर लगाए गए ताले के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी लगातार कोशिश करते रहे लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी। चार घंटे बाद डीएफएससी और एसडीएम के आश्वासन के बाद किसान ताला खोलने और धरना समाप्त करने को राजी हुए।

यमुनानगर में मार्केट कमेटी कार्यालय में ताला लगाकर प्रदर्शन करते किसान। -हप्र

जीपीएस सिस्टम बना परेशानी का सबब

गुहला चीका (निस) : अनाज मंडी में धान की बंपर आवक हो रही है, लेकिन मंडी में से धान का उठान (लिफ्टिंग) न होने से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। धान उठान में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया जीपीएस सिस्टम अब किसानों और आढ़तियों के लिए मुसीबत बन गया है। धान उठान के लिए लगाए गए वाहनों में से अधिकतर पर या तो जीपीएस सिस्टम लग ही नहीं पाया और जिन पर यह सिस्टम लगाया जा चुका है वहीं अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। जीपीएस सिस्टम के काम नहीं करने से चीका की पुरानी व नई अनाज मंडी में पिछले 5 दिनों से धान का उठान पूरी तरह ठप पड़ा है, जिसके चलते मंडियों में लगभग 1 लाख क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। सड़क पर ट्रॉलियों का जाम लगा रहता है। आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य अशोक गर्ग व राजकुमार जखौली ने कहा कि मंडी धान से अटी हुई है। जब तक पुराना धान मंडी से नहीं उठाई जाएगी तब तक नई धान मंडी में उतारने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उधर किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटों में उठान शुरू नहीं किया गया तो वे मंडी के गेट के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। एएफएसओ राहुल जाखड़ ने कहा कि जीपीएस सिस्टम सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे धान की चोरी रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। अब हर ट्रक को लाइव देखा जा सकता हैं कि वह किस राइस मिल में गया है।

गुहला चीका की अनाज मंडी में उठान न होने से वहां लगे धान के अंबार। -निस

इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा बोले

नमी के नाम पर कम दाम में धान बेचने को मजबूर किसान

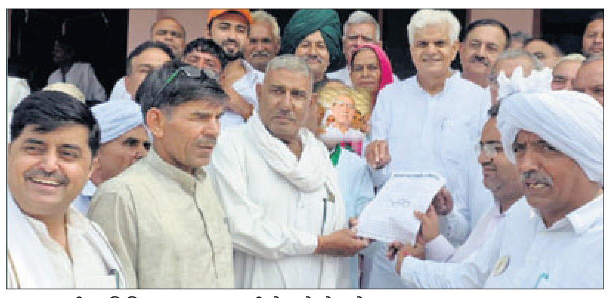

उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा मार्केट कमेटी के सचिव योगेश को ज्ञापन सौंपते हुए। -निस

उचाना, 8 अक्तूबर (निस)

धान खरीद में अव्यवस्था और किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में किसानों से बातचीत कर धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद मार्केट कमेटी के सचिव योगेश को किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

पत्रकारों से बातचीत में रामपाल माजरा ने कहा कि प्रदेशभर की मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है। किसान अपनी तैयार फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है लेकिन किसानों को नमी के नाम पर कम दाम में फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रामपाल माजरा ने बताया कि मंडी में एक किसान ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। किसान के अनुसार उसकी धान की फसल कई दिनों से मंडी में पड़ी है और नमी 14, 15 व 16 प्रतिशत तक होने के बावजूद उसकी फसल की खरीद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मंडियों में धान के उठान और बारदाने की व्यवस्था को लेकर भी किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। उन्हें अपनी फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माजरा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों और सेलर संचालकों की मिलीभगत से किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदीप गिल, बिजेंदर रेढू, बलराज नगुरा, भले राम रयोकंद, ईश्वर खटकड़, सुरेंद्र मोर और बलराम खापड़ मौजूद रहे।

महान अभिनेता को श्रद्धांजलि!

विधायक रामकुमार कश्यप ने खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

इन्द्री, 8 अक्तूबर (निस)

विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने बृहस्पतिवार को इन्द्री अनाज मंडी का दौरा किया और धान खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में धान लेकर पहुंचे किसानों, आढ़तियों तथा व्यापारियों से बातचीत की और खरीद व उठान प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित उनकी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली। विधायक रामकुमार कश्यप ने एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता, मार्केट कमेटी सचिव अमित कुमार व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि फसल खरीद सीजन में तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाएं। उन्होंने कहा कि मंडी में खरीदे जा रहे धान का उठान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि मंडी में जाम की स्थिति न बने। इसके लिए फसल के उठान और उतरवाने हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी न आए और तय समय पर उनके खाते में पेमेंट का भुगतान हो। उन्होंने मंडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी परिसर में साफ-सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई प्रतिदिन सुचारु रूप से होनी चाहिए। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर मंडी में लाएं।

'किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा मात्र जुमला'

करनाल, 8 अक्तूबर (हप्र)

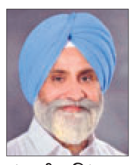

इंद्रजीत सिंह गोराया

भाजपा सरकार की किसानों के प्रति तुष्टिकरण की नीति से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्द्रजीत सिंह गोराया ने यह बात कही। उन्होंने जिले की विभिन्न मंडियों का दौरा किया और किसानों को आ रही परेशानियों के बारे में पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार में आने से पहले तो भाजपा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार करने की बात करती थी और प्रधानमंत्री मोदी 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की घोषणा करते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल भाव देने की घोषणा की थी लेकिन किसानों के वोट तो हथिया लिये, लेकिन सारी घोषणाएं कोरा झूठ व वोट सत्ता हथियाने का जुमला साबित हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी तो छोड़िए किसानों को फसल बेचने के लिए कई-कई दिनों से मंडियों में पड़े रहना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि मंडी में नमी की पात्रता की शर्त हटाई जाये तथा किसानों की फसल सरकारी रेट से कम ना बिके इसकी व्यवस्था तुरंत की जाये। धान का तुरंत उठान हो।

कृषि मंत्री ने अनाज मंडी का किया दौरा, कहा

अधिकारियों को दिए उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश

बाबैन, 8 अक्तूबर (निस)

राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन के दौरान धान की खरीद समय से पहले शुरू कर दी है। विभाग ने प्रदेश में धान की खरीद एक अक्तूबर के बजाय 29 सितंबर से शुरू कर दी गई है जो 15 नवंबर तक चलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी का दौरा किया और यह बात कही। उन्होंने किसानों, आढ़तियों, राइस मिलरों, व्यापारियों और अधिकारियों से बातचीत कर खरीद व्यवस्था की जानकारी हासिल की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों से खरीदी गई धान का उठान सुचारु रूप से होना सुनिश्चित किया जाए और इसमें और तेजी लाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने अपने सामने धान की नमी भी जांच करवाई। मंत्री श्याम सिंह राणा कहा कि भारत सरकार ने इस वर्ष धान का एमएसपी (कॉमन) के लिए 2441 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड-ए) के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद 249 मंडियों, खरीद केंद्रों के माध्यम से की जा रही है।

पिकअप से भिड़ी बाइक, एक की गई जान

फतेहाबाद, 8 अक्तूबर (हप्र)

बीघड़ रोड पर डीएवी स्कूल के पास बुधवार रात पिकअप और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान पंजाब के मानसा जिले के बरेटा निवासी सुखविंदर (50) के रूप में हुई है। बरेटा निवासी बलराज, सुखविंदर, कुलदीप और एक अन्य व्यक्ति बाइक पर सवार होकर फतेहाबाद आए थे। वे बीघड़ रोड स्थित बलराज की बहन से मिलने के बाद रात को वापस बरेटा लौट रहे थे। इसी दौरान डीएवी स्कूल के पास उनके आगे चल रही पिकअप के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। बाइक अनियंत्रित होकर पिकअप से जा टकराई। हादसे में घायल सुखविंदर की मौत हो गई।

हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सिरसा (हप्र) : गांव जमाल में सोलर प्लांट ठेकेदार की गोली मारकर हत्या के मामले में जमाल थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल निवासी गांव जमाल को वारदात के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। गांव जमाल में राजस्थान बॉर्डर के समीप हैक्सा सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ठेकेदार सुभाष चंद्र मंगलवार दोपहर प्लांट में बैठा हुआ था। इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और सुभाष चंद्र को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली से सुभाष चंद्र की मौत हो गई।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पैनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, एससीओ-142, प्रथम एवं दूसरी मंजिल, हूडा मार्किट, सेक्टर-13, करनाल, हरियाणा

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पढ़े जाने वाले नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिन की ई-नीलामी सूचना।

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति, जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहां है' और 'जहां है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक **26.10.2026** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन/ बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **26.10.2026 को अपराह्न 2 बजे** बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **24.10.2026 को समय सायं 5 बजे** तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,** एससीओ-142, प्रथम एवं दूसरी मंजिल, हूडा मार्किट, सेक्टर-13, करनाल, हरियाणा प्राप्त किए जायेंगे। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहां है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्र. नं.	ऋण खाता नं.	ऋणी/सह-ऋणी/कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधि/ जमानतदारों के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1.	TCHHL039900 0100005708 & TCHINO39900 0100006045	Mr. Vivian Joseph Brian Correya Alias Vivian Joseph Dominic Correya S/o Mr. Brain Basil Correya Alias Kenny Brian Correya, Mrs. Khararchon Gachuiwo Shang W/o Mr. Vivian Joseph Brian Correya Alias Vivian Joseph Dominic Correya	1,33,21,618/- रुपये 14.10.2022	**1,75,00,000/- रुपये** **बयाना राशि (ईएमडी) :- 17,50,000/- रुपये** **कब्जे का प्रकार : भौतिक**	रु. 23784302/- 30.09.2026

अचल संपत्ति का विवरण : आवासीय प्लॉट संख्या A-333, ब्लॉक-A, जिसका क्षेत्रफल 123.356 वर्ग मीटर अर्थात 1327.80 वर्ग फुट है, जो गांव घट्टा, सुशांत लोक-II, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित है, के संपूर्ण तीसरे तल का भाग, विक्रय विलेख के अंतर्गत सभी सामान्य सुविधाओं सहित। प्लॉट संख्या A-333 की सीमाएं इस प्रकार हैं : पूर्व में प्लॉट संख्या A-332, पश्चिम में प्लॉट संख्या A-334, उत्तर में प्लॉट संख्या A-336, दक्षिण में सड़क। खुलासा : कर्जदार द्वारा TCHFL (SA/357/2024) के विरुद्ध दायर किया गया प्रतिभूतिकरण आवेदन DRT II, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है। इस मामले में TCHFL के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

टिप्पणी : बोलीकारों को परामर्श है कि वे बोली जमा करवाने से पूर्व उचित जांच कर लें। नीलामी कोई भी मुकदमा, विवाद यदि हो तो, उसके परिणाम पर आधारित होगी। नीलामी में हिस्सा लेने हेतु सर्व साधारण को व्यक्तिगत रूप में आमंत्रित किया जाता है। इस बिक्री में संलग्न कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो बोली कर सकता है और न ही उक्त बेची गई संपत्ति में कोई हित अधिगृहीत कर सकता है या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता है। बिक्री बताई गई शर्तों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के तहत होगी।

टिप्पणी : ई-नीलामी पोर्टल https://BidDeal.in के माध्यम से दिनांक 26.10.2026 को अपराह्न 2.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 05 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्तें : (1) अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उद्घोषणा संबंधी किसी त्रुटि, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेह नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दोबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा (2) संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। (3) बोली वृद्धि राशिः **रु. 10,000/- (दस हजार मात्र)** (4) संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएं **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी / आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) उच्चतम बोलीकार को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। (6) उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। (7) संपत्ति का निरीक्षण दिनांक **19.10.2026** को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। (8) खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। (9) उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। (10) उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदार संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों, जिनके लिए संपत्ति देनदार है, का विवरण- कोई नहीं। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि की सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। (12) **अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाइन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता Value Trust Captial Service Private Limited, 585 Hasting Colony, VIP Nagar, Anandapur, Kolkata 700 100 through its coordinators, Auction Manager@BidDeal.in or Manish.Bansal Email id Manish Bansal@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696 को संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** (13) उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोलीदाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक / उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/crzuak** का संदर्भ लें। (15) कृपया लिंक **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** पर भी जाएं।

कृपया ध्यान दें : टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री / नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : हरियाणा
दिनांक : 09.10.2026
DI-16965
हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमि.।

pnb

पंजाब नेशनल बैंक

...विश्वास का प्रतीक!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (ARMB) एससीओ 60-61, पहली मंजिल, बैंक स्क्वेयर सेक्टर-17 बी, चंडीगढ़,-160017, ईमेल : cs8214@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना

सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण : ज्ञात नहीं

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतीभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6)/9(1) तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 एवं 9 के प्रावधान के अंतर्गत चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति(यों), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/पट्टे पर रखी गई है और जिनका रचनात्मक/भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को बिक्री की तिथि पर "जैसा है, जहां है", "जैसा है, और जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित राशि की वसूली पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित ऋणदाता को नीचे नामिक उधारकर्ता, गिरवीदाता तथा गारंटरों से की जा सके। चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो, तो नीचे दिया गया है।

गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री का शैड्यूल

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋण लेने वाले/ गारंटर के नाम और पते	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण और स्वामी/ गिरवीदारों के नाम	ए) डिमांड नोटिस की तिथि / बी) बकाया राशि / सी) कब्जा तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि और समय	सुरक्षित क्रेडिटर के संज्ञान में ऋण भार का विवरण
1	शाखा :- एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ लाविन पॉलिमर्स **मैसर्स लाविन पॉलिमर्स, रजिस्टर्ड पता :** हाउस नंबर 11, एमएस एन्क्लेव, ढकोली, जीरकपुर, **मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट :** वीपीओ मलकपुर (लालड़ू), तहसील डेराबस्सी मार्फत इसके	**प्रॉपर्टी ID : PUNB8214 LAAVIN1234** मकान नंबर 11, एमएस एन्क्लेव, वीपीओ ढकोली, माप 392.50 वर्ग गज एमसी और उप तहसील जीरकपुर, हदबस्त नंबर 48, तहसील डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर माप 38'X93'-392.50 वर्ग गज जो खाता/खतौनी नंबर 55/56 खसरा नंबर 398 (4-0), 399 (4-0), 400 (4-0), 401(4-0), 421(4-0), 422 (4-0), 891/423 (3- 3), किता 7, कुल क्षेत्रफल 27 बीघा 13 बिस्वा में शामिल है। हिस्सा 157/11060 यानी 0 बीघा 7 बिस्वासी वर्ष 2014-15 की जमाबंदी के अनुसार सेल डीड नंबर 2000 दिनांक 06.02.2015 के अनुसार संयुक्त सब रजिस्ट्रार जीरकपुर के साथ शैंकी सिंगला के नाम पर ट्रांसफर डीड 2019-20/13/1/6744 दिनांक 25.09.2019 के अनुसार संयुक्त सब रजिस्ट्रार जीरकपुर के कार्यालय में पंजीकृत।	13.06.2025 **Rs. 12,96,86,306.28** plus further interest w.e.f. 01.06.2025 plus costs incurred, less recovery, if any 29.08.2025 **SYMBOLIC POSSESSION**	**RP. Rs. 2,41,87,500/-** **EMD: Rs. 24,18,750/-** **Bid increase amount Rs. 3,00,000/-**	30.10.2026 11:00 AM to 4:00 PM	SA 334/2025 is pending before DRT-III, Chandigarh
	पार्टनर : 1 श्री शैंकी सिंगला, पुत्र श्री अशोक कुमार सिंगला 2. श्रीमती संजना शर्मा, पत्नी श्री शैंकी सिंगला 3. श्रीमती प्रोमिला सिंगला पत्नी श्री अशोक कुमार सिंगला पंजी. पता : म. नं. 11, एमएस एन्क्लेव, ढकोली, जीरकपुर-140603, **अन्य स्थान :** वीपीओ मलकपुर (लालड़ू), तहसील डेराबस्सी, एसएएस नगर-140501, **श्री शैंकी सिंगला पुत्र श्री अशोक कुमार सिंगला** (पार्टनर कम गारंटर) मेसर्स शंकर वूलन मिल्स, दिल्ली सनौली बाईपास, सेक्टर 25 के पीछे, पार्ट 2, हूडा, पानीपत, हरियाणा, पिन-132103 **अन्य स्थान** म. नं. 11 एमएस एन्क्लेव, ढकोली, जीरकपुर-140603. **श्रीमती संजना शर्मा पत्नी शैंकी सिंगला** (पार्टनर कम गारंटर) वार्ड नं. 7 भुंतर बाजार शिल्लीहार (27/60), भूंतर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175125, **अन्य स्थान** म. नं. 11, एमएस एन्क्लेव, ढकोली, जीरकपुर-140603. **श्रीमती प्रोमिला सिंगला पत्नी श्री अशोक कुमार सिंगला** (पार्टनर कम गारंटर) म. नं. 11, एमएस एन्क्लेव, ढकोली, जीरकपुर-140603. **श्री रिंकू मित्तल पुत्र श्री डिप्टी मित्तल** (गारंटर) हाउस नंबर 103, ब्लॉक बी, बालाजी टावर्स, किशनपुरा ढकोली, जीरकपुर-140603, **यहा भी पता** प्लॉट नंबर 116-117, ब्लू रिज-2 कॉम्प्लैक्स, पीर मुछल्ला, 140603, **यहां भी पता :** हाउस नंबर 102, ब्लॉक बी, बालाजी टावर्स, किशनपुरा ढकोली, जीरकपुर-140603					
2	शाखा : एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ मै. रडेस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स **मै. रडेस्को (RDESCO) एग्रो फूड्स,** जिसकी मालिक **श्रीमती अनुपम गर्ग, पंजीकृत कार्यालय :** फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **कार्यस्थल :** फोकल प्वाइंट के सामने, वीपीओ बल्लुआना, मलोट रोड, अबोहर (पंजाब)-152117, **श्रीमती अनुपम गर्ग (प्राप.)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **श्री राम दयाल गर्ग पुत्र श्री मनोहर लाल (गारंटर)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101, **श्री उमेश गर्ग पुत्र श्री राम दयाल गर्ग (गारंटर)** निवासी : फ्लैट संख्या सी-42, चौथी मंजिल, उप्पल मार्बल आर्च, मनीमाजरा, चंडीगढ़ पिन-160101	**Property ID: PUNB23A25683097 फैक्ट्री की जमीन और इमारत का क्षेत्रफल 29 कनाल 16 मरला है, जैसा कि विवरण में दिया गया है।** (1) भूमि का माप 22 कनाल 02 मरला जो रकबा संख्या 129 किल्ला संख्या 4/1(7-14), 7/2 (7-1), 8 (7-7) खेवट संख्या 264 खतौनी संख्या 403 में शामिल है **और** (2) वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार खेवट संख्या 958 में शामिल कुल 8 कनाल 00 मरला भूमि का 126/131 भाग, 7 कनाल 14 मरला भूमि, जो राजस्व क्षेत्र के भीतर स्थित है। ग्राम बल्लुआना, तहसील अबोहर जिला फाजिल्का की संपत्ति, विक्रय विलेख संख्या 4186 दिनांक 10.09.2008 के अनुसार श्रीमती अनुपम गर्ग पत्नी श्री राम दयाल गर्ग के नाम पर (दिनांक 04.12.2025 को विनोद कुमार बेरी द्वारा किए गए एनईसी के अनुसार, भूमि क्षेत्र 29 कनाल 15.89 मरला)	**a) Date of 13(2) :21.09.2021** **b) Rs. 9,07,59,401.37** plus further interest w.e.f. 01.09.2021 plus costs incurred, less recovery. if any **C) Date of 13 (4) :** 27.01.2022 **d) Nature of Possession : Physical Date : 06.08.2024**	**RP: Rs. 2,37,52,000/-** **EMD: Rs. 23,75,200/-** **Bid increase amount Rs. 2,50,000/-**	30.10.2026 11:00 AM to 4:00 PM	CS No. 356/2024 titled as Gautam Sharma vs Ramesh Chander & Ors is pending before the Court of ACJ (SD) Abohar, Distt. Fazilka. DRT SA 338/2024 M/s Rdesco Agro V/s PNB at DRT 2, Chandigarh Writ petition CWP/ 31681/2026, M/s Rdesco Agro Vs DRT and Ors. at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

(उपरोक्त संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर लागू होने वाला जीएसटी/टीडीएस यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा)

टिप्पणी : सभी संपत्तियों के लिए संपर्क करें : PUNJAB NATIONAL BANK, AUTHORIZED OFFICER: SH. NARENDER PAL SINGH, CHIEF MANAGER, ARMB, CHANDIGARH, MOB. NO. 8872042230

ई नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें : यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। **1.** ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, परन्तु इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। **2.** अधिकृत अधिकारी या बैंक, ई-नीलामी की गई संपत्तियों के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य किसी भी देय राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद सभी भारों, जिनमें वैधानिक देनदारियां, संपत्ति का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल है, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। **3.** सभी वैधानिक देय राशियां/संबंधित शुल्क/अन्य देय राशियां, जिनमें पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन की जाएगी। यदि बोलीदाता के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण के लिए किसी संपत्ति पहचान पत्र/एनओसी/क्लीयरेंस/अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता है, तो उन औपचारिकताओं और शुल्कों का वहन बोलीदाता को करना होगा। यदि संपत्ति का सांकेतिक कब्जा दिया जाता है, तो संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपना बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिक्री के बाद बैंक केवल संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ही देगा। **4.** इच्छुक बोलीदाता की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। **5.** बोली लगाने वाले को उचित इनटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट फेलियर, बिजली फेलियर या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाली किसी भी बाधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल **https://baanknet.com** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद (इसमें 2 या अधिक कार्यदिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन माध्यम से ईएमडी राशि ट्रांसफर करनी होगी। वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी की तारीख पर बोली लगा सकेंगे। **7.** सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा और शेष राशि नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। **8.** बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnbindia.in.** देखें या हमारे **कार्यालय, एआरएमबी चंडीगढ़, अधिकृत कार्यालय, इमेल आईडी : cs8214@pnb.bank.in से संपर्क करें।**

एसएआरएफएईएआई अधिनियम के सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) और 8(6)/9(1) के साथ पढ़े गए नियम 6 और 9 के तहत वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना।

दिनांक : 08.10.2026
स्थान : चंडीगढ़
DI-17271
अधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़।